न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी, आर.ए.एस

अपील सख्या 2015/00191 (105/2015) 75 एलआरएक्ट

1. संजय कुमार पुत्र श्री देवीलाल उम्र 27 वर्ष जाति बिश्नोई तहीसल व जिला हनुमानगढ।
2. अजयकुमार पुत्र श्री देवीलाल उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली मुर्ति देवी पत्नी श्री देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ। ––अपीलांट

बनाम

1. घुंकलराम पुत्र श्री भागीरथ
2. मुर्तिदेवी पत्नी स्व श्री भजनलाल
3. विजयपाल पुत्र स्व0 श्री भजनलाल
4. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री भजनलाल
5. लिछमा पत्नी स्व0 श्री भूपसिंह
6. अरविन्द पत्र स्व0 श्री भूपसिंह
7. राकेश पुत्र स्व0 श्री भूपसिंह
8. राजेश पुत्र श्री हेतराम
9. विनोद पुत्र श्री हेतराम
10. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ। –रेस्पोडेन्ट्स

अकवाम बिश्नोई निवासीगण मैनावावली तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.08.2015 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण संख्या 10/2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–
श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अश्वनी कुमार सिहाग अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9
श्री खुशकरणसिह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 10.0.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र रास्ता निरस्ती के संदर्भ में पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता मौके पर कभी भी चालू नहीं रहा हैं । इसकी किसी को भी आवश्यकता भी नहीं है। यह रास्ता अनुपयोगी व अनुपयुक्त हैं जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि व खाता में से ही स्वीकृत इस कारण इस रास्ता को मुमकिन करार दिया जाकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय ने यह प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में किसी पक्ष का कोई विरोध नहीं था इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। प्रश्नगत रास्ता जो कभी भी मौका पर चालू नहीं रहा व ना ही इसकी कोई आवश्यकता है व ना ही आगे किसी चक को जोड़ता है आगे खाला व नहर आने से यह रास्ता बिल्कुल अनुपयुक्त हो गया है सभी काश्तकार आसानी से अपने खेत से अन्य रास्ता से आवागमन कर रहे हैं और इस रास्ते की भूमि का प्रार्थीगण ही उपयोग व उपभोग कर रहे है। अन्य किसी भी पक्ष का विरोध नहीं होने के तथ्य को कतई अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस रास्ते के संबंध में सभी पक्षकारों की सहमति एवं तहसील रिपोर्ट व जवाब स्टेट को अनदेखा करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 ने अपील स्वीकार करने में अपनी अनापत्ति देते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने चक 4 एमडब्ल्यूएम (ए) तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 2/0 पत्थर नंबर 139/357 (13) किला नं. 1/2, 10/2, 11/2, 20/2, 21/2में दो–दो बिस्वा स्वीकृत रास्ते को अनुपयोगी एवं अनुपयुक्त बताते हुए निरस्त करने के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत पत्र को विचारण न्यायलय द्वारा खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की पुस्त पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा अग्रेषित की गई है अंकित है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रास्ता बंद है मौका की स्थित के अनुसार 20–25 सालों से विवाद या स्थगन नहीं है। प. नं. 139/136(2) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता नहीं है ना ही मौके पर चालू है। रास्ता निरस्त करने के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति नहीं की गई है बल्कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। अपील में भी इनके अधिवक्ता ने रास्ता निरस्त करने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल कयास के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज किया है कि स्वीकृतशुदा रास्ते का कभी भी उपयोग उपभोग किया जा सकता है जो उचित नही है। यदि रास्ते का उपयोग एवं उपभोग नहीं है और किसी को आपत्ति नहीं है तो उसे निरस्त किये जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: